रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2008.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 19 अगस्त, 2008/28 श्रावण, 1930

हिमाचल प्रदेश सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसचूना

शिमला–2, 14, जुलाई, 2008

संख्याः एफ.डी.एस.–ए(3)–14/2001.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तकु द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं हिमाचल प्रदेश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में आदेशिका तामीलकर्ता (प्रोसैस सरवर) वर्ग–IV (अराजपत्रित) पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न् उपाबन्ध–''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते है; अर्थात :––

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :––**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं हिमाचल प्रदेश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम (प्रोसैस सरवर) वर्ग– IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 है।

(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश मे प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **निरसन और व्यावृतियों :—** (1) अधिसूचना संखयाः एफ0डी0एस0—ए(3)14 / 2001 तारीख 4—2—2002 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं हिमाचल प्रदेश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम प्रोसैस सरवर वर्ग—IV (अराजपत्रित) भर्ती का एतद द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के आधीन की गई कोई भी नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन बिधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,
अनिल खाची
सचिव।

———————

उपाबन्ध—'क'

हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग और जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में प्रोसैस सरवर वर्ग—IV (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1. **पद का नाम :** आदेशिका तामीलकर्ता

2. **पदों की संख्या :** 6 (छः)

3. **वर्गीकरण :** वर्ग—IV (अराजपत्रित)

4. **वेतनमान :** 2720—100—3220—110—3660—120—4260 रूपए

5. **चयन पद अथवा अचयन पदः** लागू नहीं ।

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु :** 18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या सविंदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविधा आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छटू के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों / अनुसचित जन—जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तिओं के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों / स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृंद को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों / स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे।

टिप्पणीः–– (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जायेगी जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए यथास्थिति विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया हैं।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव भर्ती प्राधिकरण के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यनू तम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंः–– अनिवार्य अर्हतायें : (क) किसी मान्यता प्राप्त स्कलू शिक्षा बोर्ड से आठवीं पास होना चाहिए ।

(ख) वांछनींय अर्हता : हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों औरैर बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताऐं प्रौन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नही :––आयु : लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हताएं : लागू नहीं ।

9. परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो :–– दो वर्ष जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिषतता :–– (i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या संविदा आधार पर।

(ii) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानातरण की दशा में वे श्रेणिया (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण किया जाऐगा :–– चपड़ासियों व चौकीदारों में से जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवा काल या ग्रेड से की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो में से प्रोन्नति द्वारा ।

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र कर्मचारियों की सेवाकाल के आधार पर संयुक्त वरिष्ठता सूची उनकी काडर–बार पारस्पारिक वरीयता में छोड़े बिना, तैयार की जाएगी ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व संम्भरक पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्तें के अधीन रहते हुए गणना में ली जायेगी, कि संम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रकिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने अपने प्रवर्ग / पद / काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जायेगें और विचार करते समय सभी कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेगें :

परन्तु यह और की उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यनू तम अहर्ता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरणः—— अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान–टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम –3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्वीसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति / प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जायेगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युकत निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा उसके फलरूवरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना :—— जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियां में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगाः——जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा :——किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः—— सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम, इत्याादि भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

15(क). संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :——(i) संकल्पना : (क) इस पॉलिसी के अधीन विभाग में प्रोसैस सरवर को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे दो और वर्षों के लिए पर बढ़ा या जा सकेगा।

(ख) अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयाागे रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात रिक्त पदों के ब्यौरे को दो अग्रणी समाचार–पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और विहित अर्हताओं और इन नियमों में यथा विहित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवदेन आमन्त्रित करेगा ।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जायेगा ।

(घ) इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर इस प्रकार चयनित व्यक्ति को सरकारी सेवा (जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

(ii) संविदात्मक उपलब्धियां :—— संविदा के आधार पर नियुक्त आदेशिका तामीलकर्ता (प्रोसैस सरवर) को प्रतिमास 4080 रुपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा

महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितिय व तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 100 / – रूपए की बढौतरी (जो वेतनमान में वार्षिक वृद्धि के बराबर होगी) अनुज्ञात की जायेगी ।

(iii) नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारी :–– अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(iv) चयन प्रक्रिया :–– संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा जिसका स्तर / पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बन्ध भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

(v) संविदात्मक नियुक्ति के लिए चयन समिति :––जैसी सम्बन्ध भर्ती प्राधिकारण द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(vi) करार :–– अभ्यर्थी को चयन के पश्चात इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(vii) निबन्धन और शर्तें :–– (क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 4080 रुपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति क्रमशः द्वितिय व तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 100 / – रुपए की दर से वार्षिर्क वृद्धि का (जोकि वेतनमान में वार्षिक वृद्धि के बराबर होगी) का हकदार होगा और कोई अन्य सहवद्व प्रसुविधाएं जैसे कि वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतः अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होगी ।

(ग) संविदात्मक पर नियुक्ति पदधारी को किसी भी दशा में सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नही होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अनुसार केवल प्रसूति अवकाश दिया जाएगा।

(ङ) कार्यालयाध्यक्ष (हैड ऑफ आफिस) के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(च) संविदात्मक के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(ज) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित पदधारी को लागू है, पर यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते वेतनमान के न्यनूतम पर का हकदार होगा।

(**viii**) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर लगाए गए अभ्यर्थी को किसी भी दशा में विभाग में प्रोसैस सरवर के रूप में नियमितिकरण/स्थाई आमले न का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

16. **आरक्षण** :—— सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17. **विभागीय परीक्षा** :—— लागू नहीं

18. **शिथिल करने की शक्ति** :—— जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग या पद की बाबत शिथिल कर सकेगी ।

उपाबन्ध ''ख ''

.....(पदनाम) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, के माध्यम से निष्पादित की जाने वाले संविदा/करार का प्रारूप।

यह करार श्री/श्रीमती .....पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी.....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रथम पक्षकार कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, (जिसे इसमें इसके पश्चात द्वितीय पक्षकार कहा गया है) माध्यम से आज तारीख.....को किया गया है।

''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को .....के रूप में लगाया है और प्रथम पक्षकार ने ..... संविधा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिये सहमति दी है :——

1. यह कि प्रथम पक्षकार .....से प्रारम्भ होने और .....को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में ..... के रूप में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात.... ..... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सचू ना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकमे .....रूपये प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नही पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए उतरदायी होगा/होगी।

4. संविदात्मक नियुक्ति पदधारी को किसी भी अवस्था में नियमित सेवा के लिए कोई अधिकार प्रदान नही करेगी।

5. संविदात्मक नियुक्त.....(पदनाम) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा / होगी। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नही होगा / होगी। केवल प्रसूति अवकाश प्रसूति प्रसूविधा अधिनियम, 1961 के अनुसार दिया जाएगा।

6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन्न) हो जाएगा। संविदातमक नियुक्ति .....(पदनाम) कर्तव्य (कार्य) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम लेने का हकदार नही होगा / होगी ।

7. संविदातमक नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नही होगा।

8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्कृत चिकित्सा व्यावसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थी की दशा में 12 सप्ताह से अधिक समय की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे, अस्थाई तौर पर अनुप्युक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थियों का प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः निरीक्षण किया जाएगा।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि, अपने प्रदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौर पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी का` लागू है वेतन मान के न्यनूतम यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी ।

10 संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति (यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ व ई0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नही होगा।

इसके साक्ष्य स्वरुप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

साक्षी की उपस्थिति में प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

1.....

.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता) द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

(Authoritative English Text of this Department Notification No. FDS-A(3)-14/2001 Dated 14-7-2008 as Required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of india).

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 14*th July*, 2008

No. FDS-A(3)-14/2001.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Process Server Class IV(Non-Gazetted) ,in the Department of Himachal Pradesh State Consumer Disputes Redressal Commission and District Consumer Disputes Redressal Forums, as Annexure "A" attached to this notification, namely:—

1. *Short title and commencement:—* (1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Consumer Disputes Redressal Commission and District Consumer Disputes Redressal Forums, Processor Server Class-IV, (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2008.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Repealed and savings:—* (1) The Himachal Pradesh State Consumer Disputes Redressal Commission and the Himachal Pradesh District Consumer Redressal Forums, Process Server IV(Non-Gazetted) Requirement and Promotion Rules, 2002 notified vide Notification No. FDSA (3)14/2001 dated 4-2-2002 are hereby repealed.

(2) Nothing withstanding such repeal, any appointment made, or anything done or any action taken under the rules so repealed under Sub- rules (1 Supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order,
ANIL KHACHI,
Secretary.

———

ANNEXURE-'A'

Recruitment and Promotion Rules for the post of Process Server, Class-IV (Non-Gazetted), in the H.P. State Consumer Disputes Redressal Commission and H.P. District Consumer Disputes Redressal Forums.

1. *Name of the Post:* Process Server

2. *Number of Posts:* 6(Six)

3. *Classification:* Class-IV (Non-Gazetted).

4. *Scale of Pay :* Rs.2720-100-3220-110-3660-120-4260

5. *Whether Selection Post: Or non Selection Post :* Not applicable.

6. *Age for direct Recruitment :* Between 18 and 45 years

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidate already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become overage on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector/ Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed, age-concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/ are subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are/ were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is /are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the Recruiting Authority in case the candidate is otherwise well qualified.

7. *Minimum educational and other qualifications required for direct recruit (s):—*(*a*) **Essential :** Should have passed Middle Standard examination from a recognized Board of School Education.

(*b*) **Desirable Qualification :—**Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the Pradesh.

8. *Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees:—***Age:** Not applicable
Educational Qualifications: Not applicable

9. *Period of Probation, if any:—* Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. *Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promtion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filed in by various methors:—*(*i*) 50% by direct recruitment or on contract basis.

(*ii*) 50% by promoion.

11. *In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/transfer is to be made:—* By promotion from amongst the Peons and Chowkidars who posses three years regular service or regular combind with continuous adhoc service rendered if any in the grade.

For the purpose of promotion a combined seniority of eligible persons shall be prepared on the basis of length of service without disturbing their cadre wise inter-se-seniority.

Note:— (1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules, provided that :

(*i*) In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service / appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all person senior to him in the respective category/post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration; Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast 3 years or that prescribed in the R&P Rules for the post, which ever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION:— The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in the Himachal State Non-Technical Services) Rules,1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules,1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(*ii*) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment /promotion against such post had shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment /promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged."

12. *If a Departmental promotion Committee exists, what is its composition:—* As may be constituted by the Government from time to time.

13. *Circumstances under which the H.P.P.S.C. to be consulted in making recruitment :—* As required under the Law.

14. *Essential requirements for a direct recruitment:—*A Candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. *Selection for appointment to post by direct recruitment:*— Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva- voce test if recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test of practical test, the standard/syllabus, etc. of which will be determined by the recruiting authority as the case may be.

15.(A) *Selection for appointment to the post by contract appointment:*—(I). CONCEPT : (*a*) Under this policy, the Process Server in the Department will be engaged on contract basis initially for one year which may be extendable for two more years on year to year basis.

(*b*) ThePresident,H.P. State Consumer Disputes Redressal Commission, after obtaining the approval of the Govtoernment to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading news papers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these rules.

(*c*) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(*d*) Contract appointee so selected under these rules will not have any right to claim regularization or permanent absorption in Govtvernment job.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS :—The Process Server appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 4080/- P.M.(which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness pay). An amount of Rs. 100/- (equal to annual increase in the pay scale) as per annual increase in contractual emoluments for second and third years respectively, will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:—The President H.P. State Consumer Disputes Redressal Commission, will be Appointing and Disciplinary Authority.

(IV) SELECTION PROCESS:— Selection for appointment to the post in the case of Contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting authority.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENT:—As may be constituted by the concerned recruiting authority.

(VI) Agreement:— After selection of a candidate, he has to sign an agreement as per Annexure-B, appended to these rules.

(VII)Terms & Conditions:—(*a*) The Contract appointee will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 4080/- P.M.(which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness pay). The Contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 100/-/ (equal to annual increase in the pay scale) per annum for second and third years respectively, and no other allied benefits such as senior/selection scale etc. shall be given.

(*b*) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good.

(*c*) Contractual appointment shall not confer any right to the incumbent for the regularization in service at any stage.

(*d*) Contract appointee will be entitled to one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind will be admissible to the contractual appointee. He/she will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Maternity Benefit Act, 1961.

(*e*) Unauthorized absence from duty without approval of the Head of the office shall automatically lead to the termination of the contract. Contractual appointee will not be entitled to any honorarium for the period of absence from duty.

(*f*) Transfer of contractual appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(*g*) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Govt./Registered medical Practitioner. Woman candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit til the confinement is over. The women candidate will be reexamined for fitness from an authorized Medical Practitioner.

(*h*) Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as are applicable to regular incumbent at the minimum of the pay scale.

(VIII) RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT:—The candidate engaged on contract basis under these rules shall have no right to claim regularization/ permanent absorption as Process Server in the department at any stage.

16. *Reservation:*— The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. *Department Examination*:— Not applicable.

18. *Power to Relax:*— Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or post(s).

ANNEXURE-B

Form of contract/agreement to be executed between the ---------- (Name of the post) and the Government of Himachal Pradesh through the President H.P. State Consumer Disputes Redressal Commission, H.P .

This agreement is made on this _____day of_____in the year_____Between Sh./Smt.----------S/o/D/o Shri---------- R/O_____ _____ Contract appointee (here-in-after called the First Party), and the Governor, Himachal Pradesh through President, H.P.State Consumer Disputes Redressal Commission, Himachal Pradesh (here-in-after the Second Party).

Whereas, the Second Party has engaged the aforesaid First Party and the First Party has agreed to serve as a _____ on contract basis on the following terms & conditions :-

1. That the First Party shall remain in the service of the Second Party as _____ for a period of 1 year commencing on day of

_____ and ending on the day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the First Party with Second Party shall ipso-facto stand terminated on the information and notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the First Party will be Rs. _____ per month.

3. The service of First Party will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good.

4. The contractual appointee shall not confer any right to incumbent for the regular service at any stage.

5. Contractual_____ ¼Name of the post) will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual _____ ¼Name of the post)He will not be entitled for Medical Reimbursement and L.T.C. etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

6. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual_____(Name of the Post) will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

7. Transfer of a_____ appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/practitioner.

9. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at minimum of the pay scale.

10. The employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written.

IN THE PARESENCE OF WITNESS SIGNATURE OF THE FIRST PARTY.

1_____

_____

_____

(Name and Full Address)

2_____

_____

_____

(Name and Full Address) S IGNATURE OF THE SECOND PARTY

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 18 अगस्त, 2008

संख्याः ई0एक्स0एन0–ए(1)–1 / 1008.––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला कांगड़ा के धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश अपीलीय कर अधिकरण को तुरन्त प्रभाव से, उक्त अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त कृत्यों के उचित निर्वहन के लिए, स्थापित करती हैं ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव।

————————

(Authoritative English Text of this Department Notification No. EXN-A(1)-1/2008, dated 18th August, 2008 required under Clause(3) of Article 348 of the Constitution of India).

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 18*th August*, 2008

File No. EXN- A(1)-1/2008.— In exercise of the powers conferred by section 44 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, (Act No. 12 of 2005), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to establish the Himachal Pradesh Appellate Tax Tribunal at Dharamshala in District Kangra with immediate effect for the proper discharge of the functions conferred on it by or under the said Act.

By orders,
Sd/-
Principal Secretary.

————————

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 19 अगस्त, 2008

संख्या एल0एल0आर0–ई(9)–35 / 2005–लेज.––श्री पुरन चन्द, अधिवक्ता, ने उप–मण्डल करसोग, जिला मण्ड़ी की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है ।

अत; हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उपायुक्त मण्ड़ी की सिफारिश पर, जो कि इस निमित सक्षम प्राधिकारी है, और नोटरी नियम, 1956 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री पुरन चन्द, अधिवक्ता, को उप–मण्ड़ल करसोग जिला मण्ड़ी की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा,
(अवतार सिंह डोगरा)
सचिव।

———————

(Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)35/2005- Leg. Dated 19 08-2008 as required under Article 348(3) of the Constitution of India).

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19th August, 2008

No. LLR-E(9)-35/2005-Leg.—WHEREAS Shri Puran Chand, Advocate, Mandi has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Karsog of District Mandi ;

AND WHEREAS all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Deputy Commissioner, Mandi who is a competent authority and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the Notaries, Rules, 1956 is pleased to appoint Shri Puran Chand, Advocate, as Public Notary within the limits of Sub-Division Karsog of District Mandi, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By order
(AVTAR SINGH DOGRA),
LR-cum-*Secretary*.

———————

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 19 अगस्त, 2008

संख्या एल0एल0आर0–ई (9)–35 / 2005–लेज.––क्योंकि श्री रामलाल शर्मा को इस विभाग की अधिसूचना संख्या0 एल0 एल0 आर0–ई(9)–4 / 99–लेज तारीख 09–10–2001 द्वारा उप–मण्डल करसोग,

जिला मण्ड़ी के लिए नोटरी पब्लिक के रुप में नियुक्त किया गया था और उनका नाम नोटरी के रजिस्टर में क्रम संख्या 139 पर प्रविष्ट किया गया था ;

और क्योंकि उपायुक्त मण्ड़ी ने पत्र संख्या एस0आर0 / एस0डब्लयू0 / 2007–23541 दिनांक 02–08–2008 द्वारा सूचित किया है कि श्री रामलाल शर्मा, नोटरी पब्लिक, उप–मण्डल करसोग, जिला मण्ड़ी का देहान्त हो गया है ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10(क) के साथ पठित नोटरी नियम, 1956 के नियम 13 (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रामलाल शर्मा, नोटरी पब्लिक, उप–मण्डल करसोग , जिला मण्ड़ी का नाम नोटरी के रजिस्टर से तुरन्त हटाए जाने का आदेश देते हैं ।

आदेश द्वारा,
(ए0 सी0 डोगरा),
सचिव।

————————

(Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)23/2005- Leg. Dated 19-08--2008 as required under Article 348(3) of the Constitution of India).

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19th August, 2008.

No. LLR-E(9)-35/2005-Leg.—WHEREAS Shri Ram Lal Sharma was appointed as Public Notary vide Government Notification No.LLR-E(9)-4/99-Leg dated 09-10-2001 and authorised to practice as such within the territorial limits of Sub-Division Karsog of District Mandi and his name was entered at serial No.139 in the Register of Notaries ;

AND WHEREAS Deputy Commissioner Mandi has intimated vide letter No. SR/SW/2007 23541 dated 02-08-2008 that Shri Ram Lal Sharma, Notary Public of Sub-Division Karsog of District Mandi has died;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise on the powers conferred by section 10(a) of the Notaries Act, 1952 read with rule 13(13) of the Notaries Rules, 1956 is please to order the removal of the name of Shri Ram Lal Sharma, Notary Public of Sub-Division Karsog of District Mandi from the Register of Notaries with immediate effect.

By order,
(AVTAR SINGH DOGRA),
LR-cum-*Secretary*.

योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 11 अगस्त, 2008

संख्या योजना (ए)3–3 / 2006.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश योजना विभाग में चपड़ासी वर्ग–IV (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना में संलग्न उपबन्ध–क के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थातः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश योजना विभाग चपड़ासी वर्ग–IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम 2008 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगें।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.**––(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या योजना (ए)3–13 / 88 तारीख 15–5–1989 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश राज्य योजना तन्त्र, योजना विभाग चपड़ासी (वर्ग–IV) पद भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1989 द्वारा एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप–नियम (1) के इस प्रकार निरस्ति नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव।

––––––––

उपबन्ध–''क''

हिमाचल प्रदेश योजना विभाग, चपरासी, वर्ग–IV (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**––चपरासी

2. **पदों की संख्या.**––09 (नौ)

3. **वर्गीकरण**.––वर्ग–IV (अराजपत्रित)

4. **वेतनमान.**––2520–90–2720–100–3220–110–3660–120–4140 रूपए (प्रारम्भिक आरम्भ 2620 / – रूपए के साथ)।

5. **चयन पद अथवा अचयन पद**.––लागू नहीं ।

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**––18 से 45 वर्ष ।

परन्तु सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा तदर्थ या सविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा;

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है;

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, भर्ती प्राधिकरण के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.––**(क) अनिवार्य.**–– केन्द्रीय/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कलू शिक्षा बोर्ड/संस्थान से आठवीं या इसके समकक्ष होना चाहिए ।

(ख) बांछनीय अर्हताएं.–– हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.––**(i) आयु.**––लागू नहीं

(ii) शैक्षणिक अर्हता.––लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.––दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धति––भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नित, प्रतिनियूक्ति, द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्धारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.––शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर ऐसा न होने पर स्थानान्तरण द्धारा ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा वे श्रेणियां (ग्रडे) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.––हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में से इस पद के समतुल्य वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से सर्वथा वरिष्ठता के आधार पर स्थानान्तरण द्वारा।

12. यदि विभागीय प्रान्े नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.––लागू नहीं।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.––जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.––किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15–क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.–– (I) संकल्पना.––(क) इस पॉलिसी के अधीन हि0 प्र0 योजना विभाग में चपरासी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना :

सलाहकार (योजना), रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने हेतु सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, रिक्त पदों के ब्योरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और विहित अर्हताओं और इन नियामें में यथाविहित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यार्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(घ) इन नियमों के अधीन सविदा के आधार पर इस पक्रार चयनित व्यक्ति को सरकारी सेवा (जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नही होगा।

(II) संविदात्मक उपब्धियां.––संविदा के आधार पर नियुक्त चपरासी को 3930/–रूपये की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। क्रमशः। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक परिलब्धियों में 100 रूपये वार्षिक वृद्धि के रुप में अनुज्ञात किए जाएंगे ।

(III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी.––सलाहकार (योजना), हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.––संविदा पर नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम सलाहकार (योजना) हिमाचल प्रदेश द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.––जैसी सक्षम प्राधिकारी अर्थात् सलाहकार (योजना) द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.––अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.––(क) संविदा के आधार पर नियुक्त चपड़ासी को 3930/–रूपये की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो कि वेतनमान के प्रारंम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त

की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 100/– रूपये की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे कि वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतयः अस्थाई आधार पर होगी। नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी, यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है।

(ग) संविदात्मक नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में, सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अनुसार दिया जाएगा।

(ङ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्त्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए सविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः निरीक्षण किया जाएगा।

(ज) संविदा के पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित पदधारी को वमतनमान के नयनू तम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(VIII) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार.––इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर लगाए गए अभ्यर्थी को किसी भी दशा में विभाग में चपरासी के रुप में नियमितिकरण/स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नही होगा।

16. **आरक्षण.**––उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17. **विभागीय परीक्षा.**––लागू नहीं।

18. **शिथिल करने की शक्ति.**––जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

उपाबन्ध–''ख''

चपडासी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, सलाहकार योजना हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित किए जाने वाली संविदा / करार का पारूप

यह करार श्री / श्रीमति..... पुत्र / पुत्री श्री..... ..... निवासी.....,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य सलाहकार योजना हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने चपरासी के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:–

1. यह कि प्रथम पक्षकार चपड़ासी के रूप में ..... से प्रारम्भ होने और..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनो पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्.....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझीं जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 3930 / – रूपये प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त / तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदात्मक नियुक्ति, किसी भी दशा में, नियमित सेवा के लिए पदधारी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

5. संविदा पर नियुक्त चपरासी, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त चपरासी को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (डियूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा कासमापन (पर्यावसान) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त चपरासी, कर्त्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम लेने का हकदार नहीं होगा।

7. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।

8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः निरीक्षण किया जाना चाहिए।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीये कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी ।

10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ–साथ इ0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नही होगा।

इस के साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

साक्षी की उपस्थिति में:–

1.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

साक्षी की उपस्थिति में:–

1.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Plg(a)3-3/06 dated 11-8-2008 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11-8-2008

No. PLG(A)3-3/2006.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Peon, Class IV (Non-Gazetted) in the Planning Department, Himachal Pradesh as per Annexure –A attached to this notification, namely:—

1. *Short title and Commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Planning Department, Peon, Class-IV-(Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2008.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Repeal & Savings.*— (i) The Himachal Pradesh, State Planning Machinery Planning Department, Peon (Class IV) Recruitment and Promotion Rules,1989. notified vide this Department notification No. PLG (A) 3-13/88 dated 15-5-1989 are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under the rules, so repealed under sub-rule (i) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary.

———————

ANNEXURE-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PEON ClASSIV (NON-GAZETTED), IN THE PLANNING DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH

1. *Name of the posts.*— Peon

2. *Number of posts.*— 9 (Nine)

3. *Classification.*—Class-IV , (Non Gazetted)

4. *Pay Scale.*— Rs.2520-90-2720-100-3220-110-3660-120-4140 (with a start of Rs.2620).

5. *Whether Selection Post or Non- Selection Post.*—N.A

6. *Age for direct Recruitment.*—Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Govt. including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he /she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for scheduled Castes/Scheduled Tribes/other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporation/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such
Corporation/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporation/ Autonomous Bodies who were/ are subsequently appointed by such Corporation/ Autonomous Bodies and who are/ were finally absorbed in the service of such Corporation/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/ Autonomous Bodies.

1. Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/ are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchange or as the case may be.

2. Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the recruiting Authority in case the candidate is otherwise well qualified.

7. *Minimum Educational and other qualification required for direct recruitment*.—**(a) ESSENTIAL—**Should be Middle pass or its equivalent from a Board of School Education/Institution recognized by the Central/ H.P. Govt.

(b) **DESIRABLE QUALIFICATION.—**Knowledge of customs, manners & dialects of Himachal Pradesh & suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. *Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.*— (i) **Age—**Not applicable.

(ii) Educational Qualification.— Not applicable.

9. *Period of probation, if any.*—Two Years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority and reasons to be recorded in writing.

10. *Method of recruitment.—Whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled-in by various methods.*—100% by direct recruitment or on contract basis failing which by transfer.

11. *In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/ deputation/ transfer is to be made.*—By transfer from amongst the incumbents working

in the identical pay scales of the post from other H.P. Govt. Departments strictly on the basis of seniority.

12. *If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?*—Not applicable.

13. *Circumstances under which the HP Public Service Commission it to be consulted in making recruitment.*— As required under the law.

14. *Essential requirement for direct recruitment*—A candidate for appointment in any service or post must be a citizen of India.

15. *Selection for appointment to post by direct recruitment.*—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of vivavoce test, if the recruiting authority, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/ syllabus, etc. of which, will be determined by the recruiting authority.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.—**(I) CONCEPT**: (a) Under this policy, the Peon in the Department of Planning H.P will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for two more years on year to year basis.

(b) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPPSC/HPSSSB.—The Adviser (Planning) after obtaining the approval of the Govt. to fill up the posts on contract basis will advertise the details of vacant posts in atleast two leading news papers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(d) Contract appointee so selected under these rules will not have any right to claim regularization or permanent absorption in Govt. job.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Peon appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.3930/- per month (which shall be equal to initial of the pay scale plus Dearness pay). An amount of Rs. 100/- as per annual increase in contractual emoluments for the second and third years respectively
will be allowed if contract is extended beyond one year.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Peon appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ 3930/- per month (which shall be equal to initial of the pay scale plus Dearness pay). An amount of Rs. 100% as per annual increase in contractual emoluments for the second and third years respecively bill be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Adviser (Planning) will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered
necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Adviser (Planning) of H.P.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the competent agency that is the Adviser (Planning) H.P. from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/She shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The Contract Appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 3930/- per month (which shall be equal to initial of the pay scale plus Dearness pay). The Contract Appointee will be entitled for annual increase in contractual amount @ Rs.100/- per annum for second and third years respectively and no other allied benefits such as senior/ selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contratual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization in service at any stage.

(d) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/ She shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only Maternity leave will be given as per Maternity Benefit Act, 1961.

(e) Unauthorized absence from the duties without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(f) Transfer of contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(g) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Govt./ Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will stet temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(h) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to Regular incumbent at the minimum of the pay scale.

(**VIII) RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT.—**The candidate engaged on contract basis under these rules shall have no right to claim for regularization/ permanent absorption as Peon in Department at any stage.

16. *Reservation.*— The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other Backwards Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not Applicable.

18. *Power to Relax.*—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

ANNEXURE-'B'

Form of contract/agreement to be executed between the Peon & the Government of Himachal Pradesh through Adviser(Planning) H.P.

This agreement is made on this …….. day of ……. in the year…….....……..Between Sh/Smt.….....……S/o/D/o Shri…….....R/o…….,contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Adviser (Planning), Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Peon on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Peon for a period of 1 year commencing on day of ……and ending on the day of ……. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on…….. And information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 3930/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization of service at any stage.

5. Contractual Peon will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual Peon. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

6. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Peon will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

7. Transfer of a official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve

weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ practitioner.

9. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of the pay scale.

10. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee (s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

(Signature of the FIRST PARTY)

1……
……..
…….
(Name and Full Address)

2. …… (Signature of the SECOND PARTY)
……..
…….
(Name and Full Address)

———————

ब अदालत श्री गुरदयाल सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री तारा सिंह सुपुत्र स्व0 श्री सोम प्रकाश, निवासी कोलर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना–पत्र श्री श्री तारा सिंह सुपुत्र स्व0 श्री सोम प्रकाश, निवासी कोलर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री कुमारी हीमा ठाकुर जिसकी जन्म तिथि 25–5–1993 है का नाम ग्राम पंचायत कोलर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा प्रतिनिधि द्वारा मिति 29–9–2008 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। वसूरत दीगर कुमारी हीमा ठाकुर का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 19–7–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। गुरदयाल सिंह,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत श्री गुरदयाल सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री गंगबीर सिंह सुपुत्र श्री कालू राम, निवासी कोलर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना–पत्र श्री गंगवीर सिंह सुपुत्र स्व0 श्री कालु राम, निवासी कोलर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्रों दुर्गेश / गौरव जिनकी जन्म तिथियां 4–3–2003 व 25–6–2006 है का नाम ग्राम पंचायत कोलर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा प्रतिनिधि द्वारा मिति 29–9–2008 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। वसूरत दीगर दुर्गेश / गौरव का नाम एवं जन्म तिथियों को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 18–7–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। गुरदयाल सिंह,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिममौर (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत श्री गुरदयाल सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री मुन्ना राम सुपुत्र श्री मनी राम, निवासी खोरोवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना–पत्र श्री मुन्ना राम सुपुत्र श्री मनी राम, निवासी खोरोवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि स्वयं मुन्ना राम जिसकी जन्म तिथि 11–5–1954 है का नाम ग्राम पंचायत गोरखूवाला के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा प्रतिनिधि द्वारा मिति 29–9–2008 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। वसूरत दीगर श्री मुन्ना राम का नाम एवं जन्म तिथि 11–5–1954 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 8–6–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गुरदयाल सिंह,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत श्री गुरदयाल सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री लायक राम सुपुत्र श्री इतवार सिंह, निवासी खोड़ोवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना–पत्र श्री लायक राम सुपुत्र श्री इतवार सिंह, निवासी खोड़ोवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि स्वयं लायक राम जिसकी जन्म तिथि 17–12–1965 है का नाम ग्राम पंचायत खोड़ोवाला के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा प्रतिनिधि द्वारा मिति 29–9–2008 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। वसूरत दीगर श्री लायक राम का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 8–6–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गुरदयाल सिंह,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत श्री जिन्दर कुमार हंस, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री सिमा राम सुपुत्र श्री सुख राम, निवासी जिमटवाड़, पो0 ओ0 टिम्बी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त वराये दरुस्त किये जाने बारे जाति / गौत्र।

जैसा कि इस न्यायालय में श्री सिमा राम सुपुत्र श्री सुख राम, निवासी जिमटवाड़ ने दरख्वास्त गुजारी है कि उसकी जाति शजरा नस्ब जमाबन्दी हाल में ब्राह्मण / भारद्वाज दर्ज की गई है जो कि गलत है। प्रार्थी की जाति, गौत्र मिसल हकीयत के मुताबिक भाट / भारद्वाज दर्ज है जो कि सही है तथा शजरा नस्ब जमाबन्दी हाल में भी उसकी जाति, गौत्र भाट / भारद्वाज दर्ज की जाए। राजस्व रिकार्ड दरुस्त किया जाए।

इसलिए इस इश्तहार द्वारा आम जनता व सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह अपना एतराज तारीख 6–9–2008 को इस न्यायालय में पेश करें। हाजिर न होने की सूरत में कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जाएगी तथा प्रार्थी की जाति दरुस्त करने के आदेश जारी किए जाएंगे।

आज तारीख 6–8–2008 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर। जिन्दर कुमार हंस,
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

———

ब अदालत श्री सुर्जन सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी, दण्डाधिकारी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

श्री लौंगू राम पुत्र श्री तोता राम, ग्राम टिक्कर बूहला, तप्पा बमसन, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री लौंगू राम पुत्र श्री तोता राम, ग्राम टिक्कर बूहला, तप्पा बमसन, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना–पत्र हल्फिया ब्यान सहित प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पत्नी इशरो देवी की मृत्यु दिनांक 14–1–1981 को हो चुकी है परन्तु मृत्यु की तिथि ग्राम पंचायत टिक्कर बूहला में दर्ज नही है जिसे दर्ज करने के आदेश जारी किये जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति का काई उजर या एजराज हो तो वह दिनांक 12–9–2008 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय / न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस कार्यालय / न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा मृत्यु तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत टिक्कर बूहला को आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 8–8–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। सुर्जन सिंह,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी, दण्डाधिकारी,
तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री सुर्जन सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी, दण्डाधिकारी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

श्री नरेश कुमार पुत्र श्री हरी राम, ग्राम टकौता भट्टां, डाकघर डुंगरी, तप्पा बमसन, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना–पत्र : नाम दरुस्ती।

श्री नरेश कुमार पुत्र श्री हरी राम, ग्राम टकौता भट्टां, तप्पा बमसन, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना–पत्र हल्फिया ब्यान सहित इस कार्यालय / अदालत में प्रस्तुत करके प्रर्थना की है कि उसकी बड़ी लड़की का नाम स्कूल रिकार्ड में ईशिका व पंचायत रिकार्ड में रचना देवी दर्ज है। पंचायत रिकार्ड में रचना देवी की बजाए ईशिका दर्ज करवाना चाहता है। ग्राम पंचायत सधरयाण को रचना की बजाए ईशिका दर्ज करने के आदेश जारी किये जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एजराज हो तो वह दिनांक 12–9–2008 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय / न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज इस कार्यालय / न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा नाम की दरुस्ती करने हेतु ग्राम पंचायत सधरयाण को आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 8–8–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सुर्जन सिंह,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी, दण्डाधिकारी,
तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

———

ब अदालत श्री सुर्जन सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी, दण्डाधिकारी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

श्री नरेश कुमार पुत्र श्री हरी राम, ग्राम टकौता भट्टां, डाकघर डुंगरी, तप्पा बमसन, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना–पत्र : नाम दरुस्ती।

श्री नरेश कुमार पुत्र श्री हरी राम, ग्राम टकौता भट्टां, तप्पा बमसन, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना–पत्र हल्फिया ब्यान सहित इस कार्यालय / अदालत में प्रस्तुत किया है कि उसकी छोटी लड़की का नाम स्कूल रिकार्ड में दीक्षा व पंचायत रिकार्ड में सृष्टि दर्ज है। पंचायत रिकार्ड में सृष्टि की बजाए दीक्षा दर्ज करने के आदेश जारी किये जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को काई उजर या एजराज हो तो वह दिनांक 12–9–2008 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय / न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज इस कार्यालय / न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा नाम की दरुस्ती करने हेतु ग्राम पंचायत सधरयाण को आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 8–8–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। सुर्जन सिंह,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी, दण्डाधिकारी,
तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत श्री भगत राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 11 / 0 / 08 तारीख पेशी : 19–9–2008

श्री जसवन्त सिंह पुत्र श्री छुणकु राम, निवासी मनोह, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.–– प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री जसवन्त सिंह पुत्र श्री छुणकु राम, निवासी मनोह, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने प्रार्थना–पत्र पेश किया है कि उसके पिता की मृत्यु तिथि 27–3–1981 को ग्राम मनोह, तहसील फतेहपुर में हुई थी। परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सका है। तथा दर्ज करवाने की प्रार्थना की है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु तिथि 27–3–1981 को ग्राम पंचायत सिहाल के रिकार्ड में दर्ज करने में कोई आपत्ति हो तो असालतन या वकालतन दिनांक 19–9–2008 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत सिहाल के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 4–8–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। भगत राम,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, फतेहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री भगत राम, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 19 / दरुस्ती / 08 तारीख पेशी : 19–9–2008

श्री मनोज कुमार पुत्र श्री हुक्म चन्द, साकन राजगीर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.–– प्रार्थना–पत्र बराये नाम दरुस्ती।

उपरोक्त प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख में उसके दादा व पड़दादा का नाम गोपाला पुत्र श्री मोहला दर्ज है। परन्तु स्कूल प्रमाण–पत्रों व ग्राम पंचायत के रिकार्ड में उनका नाम धूमी पुत्र मुला दर्ज है। अतः दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाई जावे।

अतः इस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्त करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 19–9–2008 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में पेश करें। हाजिर न आने की सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना–पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 4–8–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। भगत राम,
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

———

ब अदालत श्री भगत राम, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 20 / दरुस्ती / 08 तारीख पेशी : 19–9–2008

श्रीमती मधु वाला पत्नी श्री वलबीर सिंह, निवासी धमेटा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.–– प्रार्थना–पत्र बराये नाम दरुस्ती।

उपरोक्त प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख में उसके पुत्र का नाम नाहुश पुत्र श्री वलबीर सिंह दर्ज है। परन्तु स्कूल प्रमाण–पत्रों व ग्राम पंचायत के रिकार्ड में उसका नाम अरूश मेहरा पुत्र श्री वलबीर दर्ज है। अतः दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाई जावे।

अतः इस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्त करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 19–9–2008 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में पेश करें। हाजिर न आने की सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना–पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 4–8–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। भगत राम,
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

———

ब अदालत श्री भगत राम, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 21 / दरुस्ती / 08 तारीख पेशी : 19–9–2008

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री चूहडू राम, ग्राम रूढ़ी, डाकघर दियाणा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.–– प्रार्थना–पत्र बराये नाम दरुस्ती।

उपरोक्त प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख में उसका का नाम ओम प्रकाश पुत्र श्री चूहडू राम दर्ज है। परन्तु स्कूल प्रमाण–पत्रों व ग्राम पंचायत के रिकार्ड में उसका नाम अशोक कुमार पुत्र श्री चुहडू दर्ज है। अतः दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाई जावे।

अतः इस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्त करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 19–9–2008 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में पेश करें। हाजिर न आने की सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना–पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 4–8–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। भगत राम,
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

———

ब अदालत श्री भगत राम, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 25 / दरुस्ती / 08 तारीख पेशी : 19–9–2008

श्री विधि सिंह पुत्र श्री मेहरो, साकन वलयारा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.–– प्रार्थना–पत्र बराये नाम दरुस्ती।

उपरोक्त प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख में पुत्र का नाम अमरजीत सिंह पुत्र श्री विधि सिंह दर्ज है। परन्तु स्कूल प्रमाण–पत्रों व ग्राम पंचायत के रिकार्ड में उसका नाम परमजीत सिंह पुत्र श्री विधि दर्ज है। अतः दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाई जावे।

अतः इस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्त करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 19–9–2008 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में पेश करें। हाजिर न आने की सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना–पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 4–8–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। भगत राम,
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री भगत राम, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 26 / दरुस्ती तारीख पेशी : 19–9–2008

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री रीझू, साकन रे, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.–– प्रार्थना–पत्र बराये नाम दरुस्ती।

उपरोक्त प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख में उसके पौत्र का नाम अमनदीप पुत्र श्री अरूण कुमार दर्ज है। परन्तु स्कूल प्रमाण–पत्रों व ग्राम पंचायत के रिकार्ड में उसका नाम अमन शर्मा पुत्र श्री अरूण कुमार दर्ज है। अतः दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाई जावें।

अतः इस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्त करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 19–9–2008 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में पेश करें। हाजिर न आने की सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना–पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 4–8–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। भगत राम,
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री भगत राम, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 28 / दरुस्ती तारीख पेशी : 19–9–2008

श्री मस्त राम पुत्र श्री रूणकू, निवासी ठेहड़, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.–– प्रार्थना–पत्र बराये नाम दरुस्ती।

उपरोक्त प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख में उसका का नाम झुन्झु पुत्र श्री रूणकू दर्ज है। परन्तु स्कूल प्रमाण–पत्रों व ग्राम पंचायत के रिकार्ड में उसका नाम मस्त राम पुत्र श्री रूणकू दर्ज है। अतः दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाई जावे।

अतः इस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्त करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 19–9–2008 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में पेश करें। हाजिर न आने की सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना–पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 4–7–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। भगत राम,
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

———

ब अदालत श्री भगत राम, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 29 / दरुस्ती तारीख पेशी : 19–9–2008

श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री फतेह सिंह निवासी मन्झार, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.–– प्रार्थना–पत्र बराये नाम दरुस्ती।

उपरोक्त प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख में उसका का नाम देस राज पुत्र श्री फतेह सिंह दर्ज है। परन्तु स्कूल प्रमाण–पत्रों व ग्राम पंचायत के रिकार्ड में उसका नाम जगदीश सिंह पुत्र श्री फतेह सिंह दर्ज है। अतः दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाई जावे।

अतः इस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्त करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 19–9–2008 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में पेश करें। हाजिर न आने की सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना–पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे ।

आज दिनांक 4–8–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। भगत राम,
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

———

ब अदालत श्री वलबीर सिंह लगवाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्रीमती सरला देवी पत्नी श्री अमर सिंह, निवासी सलेहरा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सरला देवी पत्नी श्री अमर सिंह, निवासी ग्राम सलेहरा, डाकघर सलेहरा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र अंकित कुमार का जन्म दिनांक 10–12–2002 को महाल सलेहरा में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नही करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 8–9–2008 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 4–8–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। वलबीर सिंह लगवाल,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

———

ब अदालत श्री वलबीर सिंह लगवाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री धर्म सिंह पुत्र श्री वजीर चन्द, निवासी ग्राम व डाकघर दियोल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री धर्म सिंह पुत्र श्री वजीर चन्द, निवासी ग्राम व डाकघर दियोल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री तमन्ना कपूर का जन्म दिनांक 14–2–2002 को महाल

दियोल में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नही करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 19–9–2008 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन यावकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 4–8–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। वलबीर सिंह लगवाल,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

———

ब अदालत श्री राजेन्द्र प्रशाद, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप–तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा शीर्षक मु0 न0 : 09 / 2008 तारीख पेशी : 18–9–2008

श्री जगदीश चन्द पुत्र स्व0 श्री वैसाखी राम, निवासी ग्राम अलसा, डाकघर घराणा, उप–तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा : दरुस्ती नाम।

श्री जगदीश चन्द पुत्र स्व0 श्री वैसाखी राम, निवासी महाल अलसा ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका असल नाम जगदीश चन्द है लेकिन राजस्व रिकार्ड में उसका नाम जोन्फू राम दर्ज चला आ रहा है जो कि गलत है। अतः उसका नाम राजस्व रिकार्ड में जोन्फू राम के बजाये जोन्फू उर्फ जगदीश चन्द दर्ज करने की कृपा करें।

अतः आम जनता व आम व खास को इस इश्तहार / मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 18–9–2008 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजरी एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 7–8–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। राजेन्द्र प्रशाद,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी),
उप–तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री राजेन्द्र प्रशाद, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप–तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा शीर्षक मु0 न0 : 10 / 2008 तारीख पेशी : 18–9–2008

श्री सरवण कुमार पुत्र श्री भगत राम, निवासी लाहडू, डाकघर नौरा, उप–तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा : दरुस्ती नाम।

श्री सरवण कुमार पुत्र श्री भगत राम, निवासी महाल लाहडू ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका असल नाम सरवण कुमार है लेकिन राजस्व रिकार्ड में उसका नाम सरवण राम दर्ज चला आ रहा है जो कि गलत है। अतः उसका नाम राजस्व रिकार्ड में सरवण राम के बजाये सरवण कुमार दर्ज करने की कृपा करें।

अतः आम जनता व आम व खास को इस इश्तहार / मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 18–9–2008 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजरी एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 5–8–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

राजेन्द्र प्रशाद,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी),
उप–तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

———

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित